

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर



// ज्ञापन //

क्रमांक सी / 3070 /
पांच-1-6 / 2016

जबलपुर, दिनांक 03 / जुलाई, 2019.

प्रति,

संभागीय परियोजना यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, पी0आई0यू0,
साउथ सिविल लाईन,
जबलपुर।

विषय:- नवीन रिकार्ड रूम में फॉयर फाईटिंग एवं संयंत्रों के डिमांस्ट्रेशन बाबत।

सन्दर्भ:- आपके ज्ञापन क्रमांक-1134 दिनांक 18/6/2019 एवं ज्ञापन क्र0-1153,
दिनांक 21/06/2019.

-:0:-

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके कार्यालय के सन्दर्भित ज्ञापन दिनांक 18/06/2019 एवं ज्ञापन दिनांक 21/06/2019 के द्वारा लेख किया गया है कि नवीन रिकार्ड रूम के फॉयर फाईटिंग सिस्टम में स्थापित डीजल इंजन जो कि आकस्मिक स्थिति में (पावर कट की स्थिति में) फॉयर फाईटिंग सिस्टम में लगी मोटरों को स्वचालित करता है, कि कम्पनी द्वारा प्रयोग/हस्तांतरित करने के पूर्व कम्पनी द्वारा सर्विसिंग के पश्चात फायर फायटिंग सिस्टम का माक ड्रिल कराया जावेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त फायर फाईटिंग संयंत्रों के डिमान्सट्रेशन (मॉक ड्रिल) को कराये जाने हेतु दिनांक 06/07/2019 दिन शनिवार को सायं 4.30 बजे कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

(सनत कुमार कश्यप)

रजिस्ट्रार(कार्य एण्ड अधोसंरचना)

क्रमांक सी / 3071 /
पांच-1-6 / 2016

जबलपुर, दिनांक 03 / जुलाई, 2019.

प्रतिलिपि:-

- 1/ रजिस्ट्रार(प्रशासन), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2/ रजिस्ट्रार कम-पी0पी0 एस0 माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3/ ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4/ मुख्य सुरक्षा अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 5/ निजी सहायक, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6/ प्रोटोकाल ऑफिसर, उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सनत कुमार कश्यप)